प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा अध्याय 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आये मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है ।

'वित्तीय प्रतिवेदन' पर अध्याय 3, विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है ।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों को तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से सामने आई अभ्युक्तियों तथा राज्य राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन में राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियाँ सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं ।